1
परिचय

मार्बल नगरी के नाम से प्रसिद्ध किशनगढ़, अजमेर जिले का प्रमुख औद्योगिक नगर है। यह नगर राष्ट्रीय राजमार्ग–8 (दिल्ली–अहमदाबाद), राष्ट्रीय राजमार्ग–79ए (किशनगढ़–नसीराबाद), राज्य राजमार्ग–8 (किशनगढ़–संगरिया) एवं राज्य राजमार्ग–7ई (सरवाड–किशनगढ़) के जंक्शन पर स्थित है। यह जिला मुख्यालय अजमेर से 26 कि.मी. एवं राज्य की राजधानी जयपुर से 106 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। किशनगढ़ नगर दिल्ली–अहमदाबाद ब्रोडगेज रेल लाइन पर स्थित है तथा राज्य के अन्य प्रमुख नगरों से रेल एवं सड़क मार्ग से भंली–भांति जुड़ा हुआ है। किशनगढ़ की स्थापना 17वीं शताब्दी के आरम्भ में जोधपुर के राजा के छोटे पुत्र श्री किशन सिंह जी द्वारा 1611 ई. में की गई। इनके बाद महाराजा रूप सिंह जी द्वारा 1653 में किले का निर्माण कराया गया। नगर का आरम्भिक विकास किले एवं महल के आस–पास के क्षेत्र में सघन रूप से हुआ।

वर्ष 1868 में दिल्ली–अहमदाबाद रेलवे लाइन की स्थापना हुई तथा मदनगंज में रेलवे स्टेशन का निर्माण हुआ जिसके फलस्वरूप नगर के विकास को नया आयाम मिला। रेलवे स्टेशन के समीप के क्षेत्र का विकास महाराजा श्री मदन सिंह जी द्वारा किया गया। इनके द्वारा 1915 में महाराजा कॉटन मिल की स्थापना की गई। मिल की स्थापना के पश्चात् नगर का विकास तीव्र गति से हुआ। देश के विभाजन के फलस्वरूप पाकिस्तान से शरणार्थियों के यहां आकर बसने से नगर के विकास में तीव्र वृद्धि हुई। गुन्दोलाव तालाब के उत्तर में कई बस्तियों का विकास हुआ। मदनगंज क्षेत्र में अजमेर रोड़ पर 1967 में आदित्य मिल की स्थापना हुई। इसी काल में यहां आधारभूत सामाजिक सुविधाएँ यथा चिकित्सालय एवं महाविद्यालय की स्थापना हुई। किशनगढ़ अजमेर बाईपास के निर्माण से नगर का विकास बाईपास की ओर होने लगा। बाईपास के सहारे कृषि उपज मण्डी एवं गोदामों का निर्माण हुआ तथा आइ.डी.एस.एम.टी. योजना के अन्तर्गत इन्दिरा नगर आवासीय योजना विकसित की गई।रूपनगढ़ रोड़ पर औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुआ जो मार्बल उद्योग एवं व्यवसाय का प्रमुख केन्द्र बन गया।

राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियमन निगम (रीको) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग–79एपर सिलोरा ग्राम में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना से नगर का विकास दक्षिण–पूर्व दिशा में आरम्भ हुआ। वर्ष 1990 से 2010 के काल में नगर के पश्चिम की ओर अजमेर रोड़

एवं खोड़ा गणेश को जाने वाली सड़क के आस–पास आवासीय क्षेत्र विकसित होने लगे। इस क्षेत्र में राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा विकसित आवासीय कोलोनी एवं कृषि भूमि को भूखण्ड़ों मे उप विभाजित कर विकसित की गई कोलोनियां प्रमुख हैं। जयपुर–अजमेर 6 लेन रोड़ के निर्माण से किशनगढ़ का विकास जयपुर की ओर टोल प्लाजा तक तीव्र गति से होने लगा है।

आर्थिक एवं सामाजिक विकास की विभिन्न गतिविधियों के फलस्वरूप किशनगढ़ नगर की जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि हुई। वर्ष 1961 में यहां की जनसंख्या 25,244 थी जो वर्ष 2001 में बढ़कर 1,16,222 हो गई तथा वर्ष 2011 में 1,55,019 हो गई। वर्ष 2001 एवं 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर 3.3 प्रतिशत प्रति वर्ष रही जो देश की नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर 3.0 एवं राज्य की नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर 2.5 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक रही। नगर के अप्रत्याशित भौतिक विस्तार एवं जनसंख्या वृद्धि के फलस्वरूप कई समस्याएं उत्पन्न हुई। उदाहरणार्थ मार्बल उद्योग एवं मण्डी के कारण भारी वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई तथा भारी वाहनों के प्रमुख सड़कों के मार्गाधिकार में पार्किंग से यातायात के निर्बाध संचालन में कठिनाई आने लगी। जनसंख्या में वृद्धि के कारण आवासीय मकानों की कमी, उद्यान एवं खुले स्थल तथा सामुदायिक सुविधाओं की कमी, नगर के गंदे पानी की निकासी का समुचित प्रावधान नहीं होने से गुन्दोलाव तालाब में एकत्रित होना, नगर के मध्य स्थित आवासीय क्षेत्रों में पॉवर लूम्स के कारण पर्यावरण एवं यातायात की समस्या,नगर के सभी दिशाओं में हुए अनियन्त्रित एवं छितराए विकास के कारण इनमें आपसी सामजंस्य का अभाव जैसी कई समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। उक्त समस्याओं के योजनाबद्ध रूप से निराकरण करने, जलाशयों का संरक्षण करने तथा आम जनता को स्वस्थ वातावरण उपलब्ध कराने की दृष्टि से आवश्यक है कि नगर की विद्यमान जनसंख्या एवं आगामी 20 वर्ष की अवधि में बढ़ी हुई जनसंख्या की आवश्यकताओं के अनुरूप आधारभूत आर्थिक एवं सामाजिक सुविधाएं उपलब्ध करायी जाए।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार ने राजस्थान नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 3(1) के अन्तर्गत दिनांक 17.07.2011 एवं 19/09/2012 को अधिसूचना जारी कर किशनगढ़ सहित 25 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित किया गया। इस प्रकार 25 राजस्व ग्रामों को सम्मिलित कर अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व) राजस्थान, जयपुर को उक्त नगरीय क्षेत्र का मास्टर प्लान तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया। अतिरिक्त मुख्य नगर नियोजक (पूर्व) राजस्थान, जयपुर के निर्देशन में मास्टर प्लान तैयार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कन्सलटेंट द्वारा कस्बे का भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक सर्वेक्षण किया

गया तथा सैकण्डरी स्रोतों से आवश्यक सूचनाएं संकलित कर मानचित्रों एवं विस्तृत आलेखों का रूप प्रदान किया गया जो इस मास्टर प्लान का आधार बना तथा इसी आधार पर किशनगढ़ नगर के मास्टर प्लान का प्रारूप तैयार किया गया। इस मास्टर प्लान में वर्ष 2031 तक विभिन्न नगरीय क्रियाकलापों के लिए आधारभूत आवश्यकताओं का आंकलन कर प्रस्ताव दिये गये हैं।

नगर सुधार अधिनियम 1959 की धारा 5(1) के प्रावधानों के अर्न्तगत आम जनता से आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त करने हेतु प्रकाशित किया गया। किशनगढ़ मास्टर प्लान प्रारूप पर निर्धारित समयावधि दिनांक 08/12/2012 तक 76 सुझाव प्राप्त हुए हैं। प्राप्त 76 आपत्ति/सुझावों में से 32 आपत्ति/सुझाव व्यक्तिगत रूप से, 28 आपत्तियां/सुझाव समूह से तथा 05 आपत्तियां/सुझाव राजकीय/अर्द्ध-राजकीय कार्यालय एवं स्वायतशासी संस्था से, तथा 11 आपत्तियां/सुझाव संस्थागत प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक आपत्ति/सुझाव की विस्तृत जांच की गयी एवं मौका निरीक्षण किया गया। जांच एवं अध्ययन के प्रयोजन हेतु प्राप्त आपत्ति/सुझावों को प्रस्तावित भू-उपयोग योजना मानचित्र, नगरीय क्षेत्र मानचित्र पर अंकित किया गया। आपत्ति/सुझाव पत्रों के द्वारा प्रारूप मास्टर प्लान के विभिन्न 97 बिन्दुओं/पहलुओं के सम्बन्ध में आपत्ति/सुझाव अंकित किये गये। उपरोक्त आपत्ति/सुझावों बिन्दुओं में से 27 स्वीकृत योग्य, 1 आंशिक स्वीकृत, 35 अस्वीकृत योग्य एवं 34 में कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नही पाया गया। प्रारूप मास्टर प्लान पर प्राप्त आपत्तियां/सुझावों का विस्तृत विवरण निम्नानुसार संलग्न हैं। प्राप्त आपत्तियां/सुझावों पर लिये गये निर्णय के अनुरूप आवश्यक संशोधन किये गये हैं।